IJIRSET

International Journal of Innovative Research in

SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

# INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

## IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 12, Issue 7, July 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 8.423

9940 572 462 | 6381 907 438 | ijirset@gmail.com | www.ijirset.com

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 7, July 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1207215 |

# आधुनिक भारत में महिला विकास एवं सशक्तिकरण

टुपेश कुमार कोसमा, डा॰ मालती तिवारी

शोधार्थी- राजनीति विज्ञान, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद, भारत

विभागाध्यक्ष-राजनीति विज्ञान, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद, भारत

प्रस्तावना: किसी भी ग्राम अथवा नगर के विकास के लिए सबसे बड़ा संसाधन वहां के लोग हैं। विकास की समस्याओं का हल समाज द्वारा ही संभव है। ग्राम अथवा नगर का विकास तब तक संभव नही हो पायेगा जब तक कि उसमें स्थानीय जन भागीदारी सुनिश्चित न हो। स्थानीय स्तर की समस्याओं व उनके समाधान की बेहतर जानकारी उन्हीं के पास है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों से किस प्रकार अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसका भी आंकलन वहां के लोग ही कर सकते हैं।
प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वैच्छिकता के भाव से समाज के विकास एवं उत्थान के लिये कार्यरत होते हैं। यदि ऐसे लोगों को जागरूक, क्षमता सम्पन्न एवं सशक्त कर दिया जाए तो वे अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित तरीके से समाज की सहभागिता से समाज के विकास के लिये कार्य कर सकेंगे। ऐसे ही स्वप्रेरणा से प्रयासरत लोगों को शिक्षित कर सशक्त सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) में सर्टिफिकेट, दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) में डिप्लोमा तथा तीन साल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) में डिग्री दी जायेगी। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक एवं युवतियों को तैयार करना है, जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो और जो क्षेत्र की समस्याओं की पहचान भी कर सकें। समस्याओं के निदान के लिए निर्णायक पहल कर सकें। आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओत-प्रोत नौजवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न हो, बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम की या अपने आस-पास की परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक पहल कर सकें।

## महिला सशक्तिकरण परिचयात्मक अवधारणा

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। इस दृष्टि से देखें तो नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए। उन्हें पुरुषों के साथ-साथ विकास की सहभागी माना जाए। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएँ अपने आर्थिक स्वावलम्बन, राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुँच व नियंत्रण प्राप्त करती हैं। अपनी शक्तियों व सम्भावनाओं, क्षमताओं व योग्यताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती है।
सशक्तिकरण शब्द का विच्छेद है स शक्ति करण। जिसमें श्सश् उपसर्ग है। शक्ति संज्ञा है। विशेषण तथा करण प्रत्यय से मिलकर शब्द बना है- सशक्तिकरण। इसका ध्वनि अर्थ है- शक्ति सहित गत्यात्मकता (गति)। सशक्तिकरण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। निरन्तर चलने वाली। निर्बल के सबल बनने की प्रक्रिया। एक पूर्ण सशक्त व्यक्ति वह है जो अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र हो, सामाजिक संदर्भों में जिस पर विवाह, संतानोत्पत्ति तथा व्यवसाय आदि से सबंधित विषयों पर घरेलू अथवा सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार का दवाब न हो। इस प्रकार स्त्रियों के संदर्भ में सशक्तिकरण की अवधारणा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारी को पुरुष के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसे अपने जीवन की गरिमा को सुरक्षित रखने और सम्मानित जीवन जीने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ तक कि शिक्षा और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में भी नारी को अपनी प्रतिभा दिखाने और मुखरित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। महाभारत काल के बाद नारी की इस स्थिति में गिरावट आयी। उससे शिक्षा का मौलिक अधिकार छीन लिया गया। धीरे-धीरे नारी की स्थिति दयनीय एवं चिंताजनक होती गयी। वर्तमान संदर्भों में देखें तो समय के साथ-साथ महिलाओं की परिस्थितियों में व्यापक बदलाव आ रहा है। समय करवट ले रहा है। दमन, दलन और उत्पीड़न से मुक्त होकर नारी जागरूक हो रही है। आज नारी विकास की ओर अग्रसर है। वह हर क्षेत्र में अपनी

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |
|| Volume 12, Issue 7, July 2023 ||
| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1207215 |

एक अनोखी पहचान बना रही है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। यह आधुनिक युग की नारी का स्वरूप है।

नारी समाज की प्रगति को आगे बढ़ाने में सहायक रही है। समाज का पूर्ण विकास तभी संभव है, जब पुरुष और नारी दोनों का समान विकास हो। दोनों को व्यावहारिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हों। मात्र एक वर्ग के विकास से समाज में असंतुलन ही पैदा होगा। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं में साक्षरता, जागरूकता, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के समन्वित, संगठित प्रयास हों क्योंकि वास्तविकता यह है कि आज भी अधिकांश महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों और उनके विकास के लिए बनाई गई शासकीय और गैर शासकीय योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है।

महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को विस्तार से समनाने के बाद अब प्रश्न उठता है कि महिला को सशवत कैसे बनाया जाये। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को समझने के क्रम में हम यह जान चुके हैं कि यह एक बहुआयामी अवधारणा है, केवल एक दिशा में प्रयत्न करने से वांछित सफलता मिलना कठिन है। यथार्थ में महिला को सशक्त बनाने के कई आयाम, कई दिशाएँ कई प्रकार हो सकते हैं। कुछ प्रमुख आयामों को हम यहाँ विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे है, किन्तु यह भी विचारणीय प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण क्यो आवश्यक हैं? इसके अभाव में समाज को क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं।

स्त्री सशक्तिकरण क्यो आवश्यक है?

किसी भी संतुलित समाजिक व्यवस्था के लिए विकास के क्षेत्र में स्त्री-पुरुष दोनों की समान भागीदारी आवश्यक है। इस मॉड्यूल में महिला सशक्तिकरण के पीछे पुरुष या महिला की श्रेष्ठता साबित करना लक्ष्य नहीं है, अपितु उन उपायों को सुनिश्चित करने की पहल करना है जिससे विकास मानकों की प्राप्ति में महिलाएँ और पुरुष बराबर योगदान कर सकें। वातावरण लिंगभेद से रहित परस्पर पूरकता का हो। इस दृष्टि से महिला सशक्तिकरण के अनेक ऐसे आयाम हैं जिन पर प्रेरित और प्रोत्साहित करने से महिला सशक्तिकरण की दिशा में वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। आइये, सशक्तिकरण के कुछ आयामों को, उनके महत्व को समझने, स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं।

महिला सशक्तिकरण के आयाम

महिला सशक्तिकरण को समझने के लिए इसके विभिन्न आयामों को समझना आवश्यकता है। इस धारणा के मूल में स्त्री-पुरूष को एक दूसरे का पूरक समझते हुए समतामूलक व्यवस्था विकसित करने की भावना निहित है। इस प्रक्रिया के अनेक आयाम हैं, जैसे -

शैक्षिक सशक्तिकरण

एक सुशिक्षित महिला अपने ज्ञान से अपने परिवार को प्रकाशित करने के साथ-साथ स्वयं भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती है। संतान की प्रथम गुरू अर्थात उसकी माता यदि सुशिक्षिता हो तो भावी पीढ़ी के शिक्षित होने की संभावना कई प्रतिशत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विसंगतियों से लड़ने का एक मात्र हथियार भी शिक्षा ही है, इसके इस्तेमाल से स्त्रियां परिवार तथा समाज में सम्मान के साथ-साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि शिक्षित स्त्री परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी राय देने के साथ-साथ निर्णय प्रक्रिया में भी भागीदारी कर सकती है।

शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सशक्तिकरण

इसका अर्थ बॉडी बिल्डिंग अथवा अखाड़े में उतरना नहीं है। इस सशक्तिकरण का अभिप्राय स्त्रियों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। कभी सबको खिलाकर सबसे पीछे खाने की परम्परा तो कई बार जीरो फिगर की चाहत के कारण वह उपयुक्त आहार नहीं ले पाती है। जिसके कारण शरीर कमजोर तथा रोगी हो जाता है। शरीर से कमजोर महिलाएं प्रायः गर्भवती होने पर अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो जाती हैं। कमजोर माँ की संतान भी कमजोर होती है और उसका जीवन रोगों से संघर्ष करने में बीतता है, उसका स्वस्थ विकास नहीं हो पाता, जिससे उसका पूरा जीवन और एक पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। रोगिणी स्त्री अपना अथवा अपने परिवार का ध्यान रखने में भी असमर्थ होती है। ऐसी स्त्रियां योग्य होने के बाद भी प्रगति नहीं कर पातीं हैं। इसलिए इन्हें अपने खान-पान पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिये। हम सभी जानते हैं जान है तो जहान है।

आर्थिक सशक्तिकरण

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 7, July 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1207215 |

आज के युग में सभी का स्वावलंबी होना आवश्यक है। महिलाओं को भी अपनी योग्यता के अनुसार अर्थोपार्जन हेतु सामने आना चाहिए। महिलाओं के आर्थिक रूप से सबल होने से परिवार में समृद्धि आती है, साथ ही वह अपनी कई इच्छाओं (पहनने-ओढ़ने, खाने पीने, घूमने-फिरने) को अपनी मर्जी से पूरा कर पाती है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला बुरे वक्त में किसी की मोहताज नहीं होती, उसे किसी के सामने अपने तथा अपने बच्चों के पालन-पोषण के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए सरकारी अथवा निजी संस्थानों में नौकरी करने के अलावा स्त्रियाँ स्वयं का व्यवसाय भी कर सकती हैं।

सामाजिक सशक्तिकरण

सामाजिक सशक्तिकरण प्रक्रिया की शुरूआत परिवार से होती है क्योंकि विभिन्न परिवारों के योग से ही समुदाय तथा समाज का निर्माण होता है। यदि परिवार में स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार हो तो वे स्वयमेव सामाजिक रूप से भी सशक्त हो जाएंगी। इसके लिए परिवार में पुत्र-पुत्री भेदभाव, घरेलू प्रबंधन में पत्नी को सेविका मानने की बजाय सहयोगिनी मानना, उनके साथ अभद्र व्यवहार अथवा अपशब्दों के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ समान व्यवहार करना आदि शामिल है। इस प्रक्रिया में समाज के बड़े-बूढ़ों का सहयोग तथा बाल्यावस्था से ही पुत्रों को अपनी बहन, माता तथा सड़क पर चलने वाली लड़कियों के साथ सम्यक व्यवहार करने की दीक्षा भी शामिल है क्योंकि व्यक्ति बचपन में जो भी अपने परिवार में देखता, सुनता और समझता है, अधिकांशतः उसे ही युवा होने पर दोहराता है।

विधिक सशक्तिकरण

भारतीय संविधान पुरुष और महिला को बराबरी का दर्जा देता है। संविधान की दृष्टि में दोनों समान हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की दशा सुधारने के लिये अनेक प्रयास हुए हैं। इन प्रयासों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे प्रयास रखे जा सकते हैं जिन्होंने महिलाओं को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करने के लिये अनेक विधिक प्रावधान और कानून बनाये हैं। घरेलू हिंसा का कानून ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कानून है। दूसरी श्रेणी में वे प्रयास आते हैं जिनमें नारी क्षमता की संवर्धन के लिए प्रोत्साहन की योजनायें बनाई गईं। अपनी उन्नति और विकास के लिए महिला को उन समस्त विधिक आयामों का ज्ञान होना चाहिए जो उसे शोषण से मुक्ति दिलाने और अवसरों का लाभ उठाने के योग्य बनाते हैं।

राजनैतिक सशक्तिकरण

भारतीय स्वतंत्राता संग्राम में महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है। देश के राजनैतिक परिदृश्य में महिलाओं की बराबर और प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर महिला आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। स्थानीय और राष्ट्रीय निकायों के चुनाव में भी महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है। इसका परिणाम यह होता है कि आज महिलायें राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी योग्यता और परिश्रम से मानक स्थापित कर रहीं हैं। मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित है, लेकिन वर्तमान में उससे अधिक संख्या में महिला प्रत्याशी निर्वाचित होकर राष्ट्र को अपनी सेवाएँ दे रहीं हैं। राजनैतिक जागरूकता और अवसर के आधार पर महिलाओं में बढ़ रही जागरूकता के दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम मिलना अवश्यंभावी है।

भावनात्मक सशक्तिकरण

यदि स्त्रियां शिक्षित तथा आर्थिक रूप से मजबूत हो तब भी अतिशय भावुकता के कारण कई बार गलत निर्णय ले बैठती हैं जिससे आगे चलकर उन्हें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कोई बार-बार प्रताड़ित करे फिर रो धोकर माफी मांग ले, भावनात्मक रूप से कमजोर कर अपनी नाजायज मांग पूरी करवा ले। इसे एक कहानी से समझा जा सकता है। सुनीता एक टाईपिस्ट है। वह एक युवक से प्रेम करती है, माता पिता को पुत्री की समझदारी पर कोई भाक नहीं था इसलिए वह भी आड़े नहीं आए। उस युवक में एक गलत आदत थी, वह क्रोधित होने पर सुनीता पर हाथ उठा देता था। पहली बार सुनीता भौंचक्की रह गई, उसने सोचा वह यह संबंध तोड़ देगी परंतु अगले ही दिन वह युवक उसके हाथ पैर जोड़ने लगा। परंतु कुछ ही दिन बाद दुबारा वह घटना हुई, इसके बाद यह सिलसिला चल निकला।

इस सूची में कुछ विशिष्ट नाम उल्लेखनीय है जैसे

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 7, July 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1207215 |

पीटी उषा, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, कमला भसीन, मीरा शिवा, वंदना शिवा आदि। इन विश्वप्रसिद्ध हस्तियों के संबंध में हम सभी जानते हैं। इस कड़ी में और भी नाम जुड़ने का सिलसिला जारी है। भारतीय स्त्रियां कल्पना चावला, सुनीता विलियम विपरीत परिस्थिति में अपनी अस्मिता सिद्ध करने वाली स्वयंसिद्धाएं हैं।

प्रथम महिला शासिकाः रजिया सुल्तान
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिलाः श्रीमती इंदिरा गांधी
प्रथम महिला राष्ट्रपतिः प्रतिभा पाटिल
प्रथम महिला प्रधान मंत्रीः इंदिरा गांधी
प्रथम महिला राज्यपालः सरोजनी नायडू
प्रथम महिला मुख्यमंत्रीः श्रीमती सुचेता कृपलानी
प्रथम महिला केंद्रीय मंत्रीः श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर
भारतीय राश्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षः श्रीमती ऐनी बेसेंट
प्रथम महिला चुनाव आयुक्तः श्रीमती रमा देवी
उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम मुख्य न्यायाधीशः न्यायधीश लीला सेठ
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली प्रथम महिलाः न्यायाधीश एम फातिमा बीबी
प्रथम महिला लोक सभा अध्यक्षः श्रीमती मीरा कुमार
संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्षः श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित
भारत की पहली महिला सांसदः राधाबाई सुबरायण
भारत की सबसे पहली महिला चिकित्सक-पुणे की आनंदी बाई जोशी
इंग्लिश चौनल पार करने वाली पहली भारतीय महिलाः आरती साहा
ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिलाः कर्णम मल्लेश्वरी
एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिलाः बैछेंद्री पाल
भारतीय सेना में शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिलाः मेजर मिताली मधुमिता
मिस युनीवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिलाः सुष्मिता सेन
विस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम महिलाः ऐश्वर्या राय
भारत की प्रथम बुकर प्राइज विजेताः अरूधती राय।
प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त महिलाः आशापूर्णा देवी
उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिलाः प्रीती सेनगुप्ता
प्रथम महिला आई.ए.एस अधिकारीः अन्ना जार्ज
प्रथम महिला आई पी एस अधिकारीः किरण बेदी
नोबल पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिलाः मदर टेरेसा

सन्दर्भग्रंथ सूची

1. मीना, डा0लक्ष्मी नारायण, पंचायती राज तथा जनप्रतिनिधित्वः दशा एवं दिशा लिट्रेरी सर्किल, जयपुर, 2011।
2. कलकल, स्नेहलता ग्रामीण नेतृत्व की उभरती प्रवृत्तियॉ, क्लासिक पब्लिकेशन्स, 2001।
3. महीपाल पंचायती राज चुनौतियॉ एवं संभावनाएॅ, नेशनलबुक ट्रस्ट, नईदिल्ली, 2011।
4. मोदी, अनिता पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेव जयपुर, 2009।
5. डा0 शालिनी पंचायती राज व्यवस्था में सत्ता शक्ति का विकेन्द्रीकरण,
6. महिलाओं के सन्दर्भ में अध्ययन, नवजीवन पब्लिकेशन, निवाई (टोंक), 2006,
7. आर्यसाधना मेमन, निवेदित ''नारीवाद राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे'', 2001, दिल्ली विश्वविद्यालय।
8. अग्रवाल डॉ. आर.सी. भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन, 1962,एस. चंद एण्ड कम्पनीलिमिटेड।
9. अग्रवाल प्रमोद कुमार ह्ाूमन जौग्रॉफी ऑफ बस्तर, 1927
10. यादव धमेन्द्र सिंह ''पंचायती राज एवंग्रामीणविकास''
11. माहत्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावाः एक विश्लेषण
12. महिला सशक्तिकरणः एक पहल
13. महिला सशक्तिकरणः भारतीय परिदृश्य अवलोकन
14. कुरूक्षेत्र 2012 स्व सहायता समूह विशेषांक।
15. एनआरएलएम मार्गदर्शक सिद्धान्त।

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 7, July 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1207215 |

16. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2010-11।
17. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान)।

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor: 8.423

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

# INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

Scan to save the contact details

www.ijirset.com